

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
उर्दू निदेशालय

शुद्धि-पत्र

सं०-उ०नि०-194/2023...182.../

पटना, दिनांक 25.06.2026

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-56, सहपठित ज्ञापांक-473, दि०-09.03.2026 द्वारा कतिपय सहायक उर्दू अनुवादकों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त आदेश के क्रम संख्या-01 पर अंकित कर्मी श्री सैयद वसीम अशरफ, उर्दू अनुवादक, अनुमंडल कार्यालय, बाढ़, पटना तत्कालीन सहायक उर्दू अनुवादक, जिला उर्दू भाषा कोषांग, समाहरणालय, सीतामढ़ी को दिनांक-19.12.2008 के प्रभाव से प्रथम ए०सी०पी० की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त आदेश में श्री अशरफ को देय प्रथम ए०सी०पी० में त्रुटिवश वेतनमान 5200-20200, ग्रेड-पे-2800 के स्थान पर 9300-34800, ग्रेड-पे-2800 अंकित हो गया है।

3. अतः श्री अशरफ को दिनांक-19.12.2008 के प्रभाव से देय प्रथम ए०सी०पी० को 9300-34800, ग्रेड-पे-2800 के स्थान पर वेतनमान 5200-20200, ग्रेड-पे-2800 पढ़ा जाय।

4. शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

5. उक्त आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह०/-

(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञाप सं० :- उ०नि०-194/2023...1286/

पटना, दिनांक-25.06.2026

प्रतिलिपि :- संबंधित कर्मी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- बजट शाखा, उर्दू निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला उर्दू भाषा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव-सह-निदेशक।